

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1665 / 2020

दिनांक 07.09.2020

श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर को दिनांक 31.08.2020 से 05.09.2020 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 28.08.2020 से 30.08.2020 एवं 06.09.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गोयल की अनुपस्थिति में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई.) प्रकरण, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल कर रहे हैं ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

07/09/2020


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/33/2002/3721

दिनांक 07.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 3810 दिनांक 19.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
5. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई.) प्रकरण, जोधपुर महानगर ।


सहायक रजिस्ट्रार